

9/1/19 प्रार्थी अखिवक्ता को न्यायालय समय के दौरान
बोर्ड-बोर्ड बक-बक कर आवाजे लगावारी गई
होकि प्रार्थी को और से कोई अपस्थित नही
हुआ। अतः इससे प्रतीत होता है कि
प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र को अपने नदी यत्नान्त
राहता है

अतः उक्त प्रार्थना पत्र U/S 212 RT Act
को अदालत वैसी अदालत धरती में स्वीकार
किया जाता है।

पत्रावली केवल सुमार्त देकर नम्बर
से एक कत देकर सुलवाद पत्रावली के साथ
संलग्न किया जाये।

सहायक कलक्टर एवं पोस्टपालक दण्डनायक
(फास्ट टैंक) फलोदी